परिशिष्ट – एक

विधान सभा अतारांकित प्रश्न कमांक–119

इंदौर जिले के शराब कारोबारियों द्वारा कूटरचित चालानों के माध्यम से शासकीय राजस्व की क्षति कारित करने के संबंध में कलेक्टर इंदौर ने पत्र कमांक आब/ठेका/2017/6698 दिनांक 08.08.2017 द्वारा अवगत कराया गया। तदनुसार प्रकरण में आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के आदेश कमांक पी.ए.आ.आ./2017/53 दिनांक 09 अगस्त 2017 को 05 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया। जांच दल द्वारा दिनांक 10.08.2017 से दिनांक 15.08.2017 तक जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला इंदौर में देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जमा चालानों में कूटरचना तथा हेराफेरी कर, माह दिसम्बर 2015 से माह जुलाई 2017 की अवधि में कुल रूपये 41,65,21,890/– आबकारी राजस्व की क्षति कारित हुई है।

2. इंदौर जिले के कतिपय शराब कारोबारियों द्वारा कूटरचित चालानों के माध्यम से शासकीय राजस्व को कुप्रभावित किए जाने संबंध मामले में प्रथम दृष्ट्या अपने पदीय कर्तयों के निष्पादन में बरती गई अत्यंत गंभीर लापरवाही के फलस्वरूप राज्य शासन को हुई आर्थिक हानि प्रकाश में आने के कारण निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल द्वारा उनके आदेश कमांक 2485/3114/ 2017/2/पांच दिनांक 06 सितम्बर, 2017 से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया:–

1– श्री संजीव दुबे, सहायक आबकारी आयुक्त, जिला इंदौर, 2–श्री धर्मेन्द्र सिंह सिसोदिया, सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं मद्यभांडागार अधिकारी इंदौर, 3–सुश्री कौशल्या साबवानी, आबकारी उपनिरीक्षक एवं मद्यभांडागार अधिकारी, मद्यभांडागार महू, 4–श्री सुखनंदन पाठक, सहायक जिला आब. अधिकारी एवं मद्यभांडागार अधिकारी मद्यभांडागार महू, 5–श्री डी. एस.परमार, मुख्यलिपिक, कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त जिला इंदौर प्रभारी लिपिक, राजस्व संग्रह शाखा, 6–श्री अनमोल गुप्ता,सहायक ग्रेड–3, कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त जिला इंदौर प्रभारी लिपिक तौजी शाखा।

2– मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल द्वारा ज्ञाप कमांक बी–7(ए)20/2017/2/पांच दिनांक 29.09.2017 से श्री विनोद रघुवंशी, तत्कालीन उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता इंदौर, श्री रविप्रकाश दुबे, सहायक जिला आबकारी अधिकारी तथा श्री आनंदीलाल भटेवरा, लेखापाल सहित उपरोक्त वर्णित 09 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र जारी किए गए हैं।

श्री विनोद रघुवंशी, उपायुक्त आबकारी, द्वारा आरोप पत्र का उत्तर समाधानकारक पाये जाने पर शासन द्वारा आदेश कमांक–बी–7(ए)20/2017/2/पांच, दिनांक 09 मई 2018 से आरोप पत्र समाप्त किया गया है।

3. उपरोक्त निलंबित अधिकारियों/कर्मचारियों को पुलिस विवेचना एवं विभागीय जांच में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन कमांक–128/3114/2017/2/पांच, दिनांक 10 जनवरी 2018 से निलंबन से बहाल किया गया।

4. मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन कमांक–बी–7(ए) 20/2017/2/पांच, दिनांक 23 जून, 2018 द्वारा निलंबन से बहाल किये गये अधिकारी/ कर्मचारी एवं श्री रविप्रकाश दुबे, सहायक जिला आबकारी अधिकारी तथा श्री आनंदीलाल भटेवरा, लेखापाल सहित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध संयुक्त विभागीय जांच संस्थित की जाकर विभागीय जांच आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी एवं सहायक आबकारी आयुक्त,, जिला इंदोर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(3) शासकीय राजस्व को हानि पहुंचाने के लिए 12 अनुज्ञप्तिधारियों एवं 02 अन्य कुल 14 व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक कृत्य के लिये आबकारी विभाग द्वारा पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 0172, दिनांक 11.08.2017 को दर्ज की गई। अद्यतन स्थिति में विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा 22 आरोपितयों के विरूद्ध चालान कमांक 2/18 दिनांक 09.01.2018 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। वर्तमान में प्रकरण की विवेचना धारा 173(8) के अंतर्गत जारी है।

(4) संबंधित आरोपी अनुज्ञप्तिधारियों को अनियमितताओं के लिए कलेक्टर इंदौर द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, उनके विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए उनको प्रदत्त अनुज्ञप्तियों के

विभाग अधिकारी

संदर्भ में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31 के अंतर्गत लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही के साथ साथ एवं अन्य प्रक्रियागत वैधानिक कार्यवाही करते हुए 06 अनुज्ञप्तिधारियों से बकाया राशि वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी की गई है।

कलेक्टर जिला इन्दौर के पत्र कमांक/आब./मु.लि./2018/601, दिनांक 12.02.2018 से प्राप्त नवीन जानकारी अनुसार कोषालयीन चालानों पर कूटरचना एवं हेराफेरी के प्रकरण में वास्तविक राशि रूपये 41,65,21,890/– है, लगभग रूपये 21.6 करोड की वसूली की जा चुकी है एवं अवशेष बकाया की वसूली हेतु कार्यवाही जारी है।

5. कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा भी उपरोक्त प्रकरणों में कूटरचित चालानों के माध्यम से शासकीय राजस्व को कुप्रभावित किये जाने संबंधी अनियमितता में शेष 19 अन्य अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यालयीन आदेश पृष्ठांकन कमांक–2(ब)/विजां./2019/128, दिनांक 31.01.2019 से विभागीय जांच संस्थित की गयी है। आदेश की छायाप्रतियां संलग्न है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग